20

2021/164

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा

बईलास राजेश डागा (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्याः–

निर्णय दिनांक 10.01.2023

बउनवान

1. हरिनारायण पुत्र जगन्नाथ
2. मुकेश पुत्र धनराज
3. भूलीबाई पत्नी रामप्रसाद
4. द्वारका बाई पुत्री धर्मा जातियान माली निवासीगण ग्राम टोल्या तहसील कनवास जिला कोटा

वादी

बनाम

1. गजानन्द पुत्र बिशना
2. ग्यारस्या पुत्र बिशना
3. मोती पुत्र बिशना
4. रामदीन पुत्र बिशना जातियान माली निवासी ग्राम टोल्या हाल निवासी ग्राम खटावदा तहसील खानपुर जिला झालावाड
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब कनवास

प्रतिवादीगण

उपस्थित :–
वादी की ओर से एडवोकेट श्री महेश कुमार मालव

वाद अन्तर्गत धारा 251(क) आर.टी.एक्ट

वादीगण निम्न निवेदन करते है:–
यह कि वादीगण के संयुक्त खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी(खेत) माल ग्राम टोल्या प0ह0 लोढाहेड़ा तहसील कनवास जिला कोटा में खसरा नं0 325/0.01 है0 गै0मु0 चाह, 326/2.34 है0 चाही तृतीय कुल किता 2 की कुल रकबा 2.35 है0 आराजी स्थित है। जो भाई बंटवारे में वादीगण 1 से 3 के हिस्से में आया है। तथा इसी प्रकार वादी क्रम–4 के संयुक्त खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम टोल्या प0ह0 लोढाहेडा तहसील कनवास में खसरा नं0 109/1.77 (उतरी) है0, 189/0.24 है0, 336/0.25 है0, कुल किता 03 की कुल रकबा 2.26 है0 स्थित है जिसमें वादी क्रम –4 का 1/3 हिस्सा निहित है। लेकिन उक्त आराजी भाई बंटवारे में वादीनी क्रम–4 के हिस्से में आई है।
वादीगण के वाद पत्र के परा नं0 1 में वर्णित आराजीयात में आने जाने का सदैव का प्रचलित रास्ता ग्राम टोलिया से गंगापुर जाने वाली इन्टर लोकिंग खसरा नं0 324 के पूर्वी तरफ 15 फुट चोडाई का स्थित है। जो वादीगण 1 लगायत 3 के खेत खसरा नं. 326, 325 एवं वादी नं0 4 के खेत खसरा नं0 336 में जाता है। जो करीब 100 वर्ष पुराना रास्ता है। तथा वादीगण नं0 1 लगायत 3 के खेत खसरा नं0 326 के यहां रास्ते के दरवाजे में 15 वर्ष पूर्व से फाटक लोहे की लगी हुई है। तथा वादीगण इसी रास्ते से अपने दादा, परदादा के समय से अपने–अपने खेतों में

उपखण्ड अधिकारी कनवास
जिला कोटा

Scanned with ACE Scanner

गाड़ी–बैल, कृषि उपकरण, ट्रेक्टर, ट्रॉली फसल घास आदि लाते ले जाते रहे है। तथा उक्त प्रचलित रास्ते एवं प्रतिवादीगण के खेत के मध्य 3 फुट चौड़ी मेड सदैव से रही है जिसपर करीब 200 पौधे देसी व अंग्रेजी बबूल के लगे हुए थे। लेकिन प्रतिवादीगण एवं अनके मुनाफा काश्त पर जोतने वाले प्रतिनिधि प्रभूलाल सुमन व उसके पुत्र नरेन्द्र ने दिनांक 16/07/2021 को जे0सी0बी0 मशीन व ट्रेक्टर की मदद से उक्त सदैव के प्रचलित रास्ते को मेड तोड़कर हांक दिया और वादीगण ने उसे हांकने से मना किया तो प्रतिवादीगण ने व उसके एजेन्टों ने कहा कि यह भूमि हमारी खाते की है तथा यहां रिकॉर्ड में कोई रास्ता दर्ज नहीं है। इसलिए अब यहां होकर मत निकलना वरना बात ठीक नहीं होगी।

वादीगण के खेतों में आने जाने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। तथा यदि उक्त रास्ता खुलासा नहीं करवाया और उक्त रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया तो वादीगण के खेत सदैव के लिए पढ़त रह जावेगे तथा वादीगण को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा।

वादीगण उक्त प्रचलित रास्ते को 15 फुट चौड़ाई में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाना चाहते है तथा इसके लिए नियमानुसार शुल्क जमा करवाने के तैयार है।

वादीगण के यह विधिक अधिकार हांसिल है कि वह अपने खाते के वाद पत्र के पेरा नं0 1 में वर्णित आराजियात में आने जाने ट्रेक्टर–ट्रॉली कृषि उपकरण आदि लाने ले जाने के उक्त रास्ते को खुलासा करवा लेवे एवं उसे राजस्व रिकॉर्ड में गे0मु0 रास्ता डिक्री दर्ज करवा लेवे एवं प्रतिवादी को पाबन्द करवा लेवे कि वह भविष्य में कभी उक्त रास्ते को अवरूद्ध नहीं करें तथा वादीगण के आने–जाने में कोई बाधा कारित नहीं करें और रास्ते को नहीं हांके तथा रास्ते को सदा चालू रखें।

अतः वाद पेश कर निवेदन है कि वादी नं0 1 लगायत 3 के खाते एवं कब्जे काश्त की माल ग्राम टोल्या प0ह0 लोढाहेडा तहसील कनवास जिला कोटा की खसरा नं0 325/0.01,326/3.34 है0 कुल किता 02 की कुल रकबा 2.35 है0 आराजी एवं वादी नं0 4 की माल टोल्या प0ह0 लोढाहेडा में ही स्थित खसरा नं0 336 की 0.25 है0 आराजी में आने–जाने ट्रेक्टर–ट्रॉली, कृषि उपकरण, फसल, चारा आदि लाने ले जाने हेतु प्रतिवादी नं0 1 लगायत 4 के खाते की खसरा नं0 324 की रकबा 1.90 है0 आराजी के पूर्वी मेड की तरफ 15 फुट चोड़ाई में रास्ता खसरा नं0 326 तक दिया जावे तथा रास्ते की भूमि को प्रति क्रम 1 से 4 के खाते में से कम कर राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा ट्रेस में गे0मु0 रास्ता दर्ज किया जावे। तथा नक्शा ट्रेस में उसका स्पष्ट अंकिन किया जावे।

(ब) प्रतिवादीगण म0 1 लगायत 4 को पाबंद किया जावे कि वह वादीगण के उक्त रास्ते को सदैव खुलासा रखे तथा वादीगण के उक्त रास्ते के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार से बाधा या व्यवधान कारित नहीं करें। तथा प्रतिवादीगा उक्त रास्ते को कभी नहीं हांके न उसमें फसल बोवे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादी कम 1 ता 4 के सम्मन रजिस्टर्ड एडी से पेश होकर जारी एवं एवं प्रतिवादी कम 5 के सम्मन साधार पेश होकर जारी किए गये।प्रतिवादी कम 1 ता 5 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त जो शामिल पत्रावली किये गये प्रतिवादी कम 1 ता 4 स्वयं उपस्थित होकर हुए उनके हस्ताक्षर कराये गये। प्रतिवादी कम 1 ता 4 की ओर से श्री दुर्गाशंकर सुमन एडवोकेट उपस्थित हुए पत्रावली पर जवाब सरकार पुश्त पर प्राप्त हुआ । जवाब सरकार में कोई राजहित प्रभावित होना नही अंकित किया गया पत्रावली पर भू अभिलेख निरीक्षक धूलेट एवं पटवारी हलका लोढाहेडा से वाद ग्रस्त आराजी में रास्ते के सबधं में रिपोर्ट प्राप्त की गई जो शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निस्तारण योग्य पाया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य संक्षेप में इस

उपखण्ड अधिकारी कनवास
जिला कोटा

Scanned with ACE Scanner

प्रकार है कि प्रार्थीगण के खााते एवं कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम टोल्या पटवार हल्का लोढाहेडा में स्थित खसरा न 325 की 0.01 है0 गै मु0 चाह एवं खसरा न 326 की रकबा 2.34 है कुल किता 2 की आराजी 2.35 है एवं इसी प्रकार प्रार्थी कम 4 के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम टोल्या पटवार हल्का लोढाहेडा में खसरा न 189 की 0.24 है0 व खसरा न 336 की 0.25 है खसरा न 109 /1.75 कुल किता 3 की 2.26 है स्थित है जिससे वादी का 3/4 हिस्सा है जिसमें आने जाने का सदैव से प्रचलित रास्ता ग्राम टोलिया से गंगापुर जाने वाली इन्टरलोकिग सडक के दक्षिण की ओर प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 के खेत जो खसरा न 324 के पूर्वी तरफ 15 फुट चौडाई का रास्ता स्थित है जो वादीगण 1 लगायत 4 के खेत खसरा न 326 325 एव वादी न 4 के खेत खसरा न 336 से जाता है उपरोक्त वर्णित रास्ता काफि पुराना है हमारे दादा परदादा के समय से उक्त रास्ते से गाडी बैलगाडी कृषि उपकरण आदि लाते ले जाते रहे प्रार्थीगण के खेतों में आने जाने का अन्य कोई रास्ता नही है यदि उक्त रास्ता खुलासा नही कराया गया तो प्रार्थीगण को काफि परेशानी होगी।
भू0 अभि0 निरीक्षक धूलेट मुताबिक प्रार्थीगण 1 ता 4 के खेत खसरा न 324 में से 15 फुट चौडाई एवं खेत की लम्बाई तक पूर्वी मेड से 384 वर्ग मीटर अर्थात 0.04 है भूमि रास्ते में अप्रार्थीगण के खेत में जायेगी एवं इसके बदले इतनी ही भूमि प्रार्थीगण के खेत खसरा न 326 की मेड से पश्चिमी दिशा से उतरी सीमा से लगती हुई दी जायेगी। प्रार्थना पत्र में संलग्न दस्तावेजो, जवाब सरकार, तहसीलदार कानूनगो व पटवारी की रिपोर्ट के आधार वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि भू0 अभि0 निरीक्षक धूलेट मुताबिक प्रार्थीगण 1 ता 4 के खेत ग्राम टोल्या खसरा न0 324 में से 15 फुट चौडाई एवं खेत की लम्बाई तक पूर्वी मेड से 384 वर्ग मीटर अर्थात 0.04 है0 भूमि रास्ते में अप्रार्थीगण के खेत में जायेगी एवं इसके बदले इतनी ही भूमि प्रार्थीगण के खेत खसरा न0 326 की मेड से पश्चिमी दिशा से उतरी सीमा से लगती हुई भूमि रास्ते की भूमि के बदले प्रार्थीगण को दिये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 10.01.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजेश डागा (आर0ए0एस)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास

Scanned with ACE Scanner